v/;kns'k Øekad 2

fo'ofo|ky; Nk= la?k

(धारा (XXI) देखिये)

1. विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित विश्वविद्यालय छात्र संघ महाविद्यालयों एवं शिक्षण–विभागों/अध्ययन केन्द्रों के छात्र–संघों का महासंघ होगा तथा प्रत्येक महाविद्यालय या शिक्षण–विभागों/अध्ययन केन्द्रों का छात्र संघ विश्वविद्यालय छात्र संघ का सदस्य होगा। महाविद्यालयों/शिक्षण–विभागों/अध्ययन केन्द्रों के छात्र संघ (आगे से महाविद्यालय छात्र संघ के नाम से सम्बोधित) के सदस्य, जब तक कि अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत अपात्र नहीं हैं, तब तक विश्वविद्यालय छात्र संघ की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार रखेंगे।

2. **विश्वविद्यालय छात्र संघ के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–**

   (क) छात्रों के बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और सामूहिक जीवन को प्रोत्साहित करना।

   (ख) छात्रों की रचनात्कम प्रतिभा को खोज निकालने और विकसित करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनके कल्याण का अभिवर्धन करना।

   (ग) सेवा भावना की परम्परा का विकास करना और छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव प्रतिष्ठित करना।

3. (1) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय छात्र संघ –

   (क) वाद–विवादों, परिसंवादों, अध्ययन–मण्डलों, व्याख्यानों, प्रतियोगिताओं, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रदर्शिनियों एवं विज्ञान और साहित्य की गोष्ठियों का आयोजन कर सकेगा और उन में भाग ले सकेगा।

   (ख) समाज सेवा सम्बन्धी गतिविधियों और छात्र कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर सकेगा।

   (ग) छात्रों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सामूहिक जीवन से सम्बन्धित कठिनाईयों की प्रकृति और विस्तार का परीक्षण और निर्धारण कर सकेगा और

उन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सामने उनके निराकरण के लिए रख सकेगा। ये कठिनाईयॉ विशेष से सम्बन्धित न होकर सामान्य प्रकृति की होगी।

(2) विश्वविद्यालय छात्र संघ की गतिविधियॉ विश्वविद्यालय के समूचे क्षेत्र में विस्तृत रहेगी और वह अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए महाविद्यालय छात्र संघों की सहायता लेगा। विश्वविद्यालय छात्र संघ किसी राजनैतिक दल से अपने को एकीकृत या सम्बद्ध नहीं करेगा।

4. प्रत्येक महाविद्यालय छात्र संघ विश्वविद्यालय छात्र संघ के फण्ड हेतु प्रति सदस्य आधे रूपये के हिसाब से चन्दा देगा। प्रत्येक वर्ष संकलित सम्मिलित निधि/कम्पोजीशन शुल्क में से देय इस चन्दे की कुल राशि महाविद्यालय के प्राचार्य या शिक्षण विभाग/अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा कुलसचिव के पास साधारणतः अगस्त के अन्तिम कार्य–दिवस तक भेज दी जाएगी।

लेकिन, यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति सामने आती है, तो वे महाविद्यालय/शिक्षण विभाग/ अध्ययन केन्द्र से कुलसचिव के पास छात्र संघ का चन्दा भेजने की निर्धारित अन्तिम तिथि में औचित्यपूर्वक वृद्धि कर सकेंगे।

यदि कोई महाविद्यालय उसके द्वारा देय चन्दे की राशि निर्धारित अन्तिम तिथि तक नहीं भेजता है, तो उस महाविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष और प्रतिनिधि, यदि हुए, तो विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में भाग लेने से वंचित रहेंगे।

5. कुलपति विश्वविद्यालय छात्र संघ के संरक्षक होंगे एवं छात्र कल्याण के डीन या यदि छात्र कल्याण के डीन नहीं हों, तो संरक्षक द्वारा नामांकित कोई अध्यापक, जो रीडर से नीचले पद पर न हों, छात्र संघ के परामर्शक व कोषाध्यक्ष होंगे।

6. (1) विश्वविद्यालय छात्र संघ की एक परिषद् और एक कार्यकारिणी समिति होगी।

(2) परिषद् का गठन निम्नानुसार होगा :–

(क) महाविद्यालय छात्र संघों के अध्यक्ष, तथा

(ख) 500 सदस्यों से उपर महाविद्यालय छात्र संघ के प्रति 500 सदस्यों के लिए अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छात्र संघ के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षतः चुना गया एक प्रतिनिधि।

(3) परिषद् अपने सदस्यों में से विश्वविद्यालय छात्र संघ के निम्नलिखित पदाधिकारी सरल बहुमत से चुनेगी :–

(क) अध्यक्ष,

(ख) उपाध्यक्ष,

(ग) सचिव,

(घ) संयुक्त सचिव।

इस प्रकार चुने गये पदाधिकारी एवं परिषद् की कुल संख्या के 20 प्रतिशत् अन्य सदस्य, जिनकी अधिकतम संख्या 15 होगी, और जो परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुने जायेंगे, कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे।

टिप्पणी : सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के बारे में दिशा–निर्देश कुल संसद के लिए पंजीकृत स्नातकों के चुनाव से सम्बन्धित परिनियम/अध्यादेश में उपलब्ध होंगे।

(4) कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, या वह किसी ऐसे पद के लिए पुनः खड़ा नहीं हो सकेगा, जिस पर वह दो बार रह चुका है।

7. (क) हर महाविद्यालय छात्र संघ के प्रभारी प्राध्यापक पंजीकृत डाक से या विशेष संदेशवाहक के माध्यम से प्रति वर्ष महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और यदि प्रतिनिधि हो, तो उन के नाम भेजेंगे, जो विश्वविद्यालय छात्र संघ के परामर्शक व कोषाध्यक्ष के पास सितम्बर के सातवें दिन या उस दिन रविवार या छुट्टी होने पर आगामी कार्य दिवस तक पहुँच जाने चाहिए।

लेकिन, यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति सामने आती है, तो वे अन्तिम तिथि में औचित्यपूर्ण वृद्धि कर सकेंगे।

(ख) परामर्शक व कोषाध्यक्ष उपर (क) में सन्दर्भित अन्तिम दिन के अगले दिन परिषद का गठन करने वाले महाविद्यालय छात्र संघों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के नामों को अधिसूचित करेंगे एवं उसके बाद यथाशीघ्र विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव करने के लिए परिषद के सदस्यों की बैठक संयोजित करेंगे। सभी चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होंगे। साथ ही, यदि एक बार परामर्शक व कोषाध्यक्ष के द्वारा विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों और

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए तिथि अधिसूचित कर दी गई हो, तो वह चुनाव करवाया ही जाएगा, भले ही उपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट तिथि के पूर्व किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में महाविद्यालय छात्र संघ का चुनाव नहीं करवाया गया हो। इसके अलावा, यदि किसी मतदाता को विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में कोई कठिनाई हो, तो वह डाक मतपत्र की सुविधा की माँग कर सकता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा :—

1) विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के लिए मतदाता पंजीकृत अथवा व्यक्तिगत् तौर पर दिये गये पत्र के माध्यम से परामर्श व कोषाध्यक्ष/ विश्वविद्यालय छात्र संघ के रिटर्निंग अफसर, छात्र कल्याण के डीन कार्यालय, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करेगा। यह पत्र उसके महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या अध्ययन केन्द्र के छात्र संघ के प्रभारी प्राध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा और वह अपने पत्र में उपर खण्ड (ख) में विचरित विश्वविद्यालय की चुनाव बैठक में उपस्थित न हो सकने के कारणों को शपथ पत्र के साथ लिखेगा और यदि वह चाहता है, तो डाक मतपत्र की सुविधा के लिए निवेदन करेगा। यह पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रसारित मतदाता—सूची (महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छात्र संघों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि) की अधिसूचना के दस दिनों के भीतर अवश्यमेव पहुँच जाना चाहिए। आपात् स्थिति में कुलपति द्वारा इस पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है।

2) परामर्शक व कोषाध्यक्ष/रिटर्निंग ऑफिसर कुलपति द्वारा नियुक्त की गई तीन व्यक्तियों की सलाहकार समिति की मदद से डाक मतपत्र के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच—पड़ताल करेंगे और उपर खण्ड (1) के अनुसार डाक मतपत्र के लिए अधिकृत मतदाताओं की सूचि प्रसारित करेंगे।

3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी समिति के सदस्य इन पाँच पदों के लिए एक—एक मतपत्र क्रमशः ए, बी, सी, डी और ई — प्रपत्रों में तथा तीन लिफाफे एफ, जी और एच — प्रपत्रों में परामर्शक व कोषाध्यक्ष/रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रत्येक अधिकृत डाक मतदाता के लिए उसे पावती युक्त पंजीकृत पत्र से सूचित करते हुए स्थिति के अनुसार, उसके महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या अध्ययन केन्द्र के

प्रभारी प्राध्यापक (जिन्हें आगे से डाक मतदान अधिकारी कहा जाएगा) के पास पावतीयुक्त पंजीकृत डाक/कार्यालयीन संदेशवाहक से विश्वविद्यालय में चुनाव बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पहले भेजे जायेंगे।

4) डाक मतदान विश्वविद्यालय की चुनाव बैठक की ही तिथि और समय पर होगा। डाक मतदान अधिकारी के कमरे में मतदान प्रकोष्ठ में मतपत्रों पर अपना मत छिपा कर चिह्नित करने के बाद मतदाता मतपत्रों को कैसे मोड़ेगा कि मत छिप जायें और उन्हें एफ लिफाफे में डाक मतदान अधिकारी की उपस्थिति में रखेगा और फिर एफ लिफाफे को गोंद से चिपका देगा। उसके बाद एफ लिफाफा जी लिफाफे में रखा जाएगा, जो डाक मतदान अधिकारी और मतदान दोनों के द्वारा चपड़े से मुहरबन्द किया जाएगा। प्रत्येक जी लिफाफे पर मतदाता और उसकी संस्था का नाम रहेगा।

5) मतदाता अपने हस्ताक्षर जी लिफाफे पर उसके लिए दी गई जगह पर अपने डाक मतदान अधिकारी की उपस्थिति में करेगा, जो मतदाता की पहचान को लिफाफे पर दिये गये स्थान पर अपने हस्ताक्षरों, हस्ताक्षर करने की तिथि, संस्था के नाम और मुहर के साथ उस पर अपना पदनाम लिखते हुए सत्यापित करेगा।

6) डाक मतदान अधिकारी जी लिफाफे को एच लिफाफे (सबसे बाहरी लिफाफा) में रखेंगे और उस चपड़े से मुहरबन्द करके कार्यालयीन संदेश वाहक के द्वारा विश्वविद्यालय छात्र संघ के परामर्शक व कोषाध्यक्ष/रिटर्निंग अफसर, डीन–कार्यालय, छात्र संघ, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के पास इस प्रकार भेजेंगे कि वह मतगणना पूरा होने की रसीद देंगे।

7) डाक मतदान अधिकारी अधिकृत डाक मतदाता को उसके द्वारा मत दे देने के बाद उससे मुहरबंद एफ लिफाफा प्राप्त होने की रसीद देंगे।

8) मुहरबंद एच लिफाफे में डाक मतपत्र प्राप्त करने पर परामर्शक व कोषाध्यक्ष/रिटर्निंग ऑफिसर लिफाफे पर तिथि और यदि मतपत्र अन्तिम तिथि को प्राप्त हुआ, तो प्राप्ति का समय लिखेंगे और उसे आलमारी में ताले में रखेंगे। मतगणना के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी मतपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

9) डाक मतपत्रों की गणना कुल संसद के लिए पंजीकृत स्नातकों के चुनाव हेतु निर्धारित पद्धति के समान होगी।

10) ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच प्रपत्र परिशिष्ट में दिये गये नमूने के होंगे।

(ग) सभी नामांकन परमर्शक व कोषाध्यक्ष के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किये जायेंगे और नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, यदि –

1) नामांकन पत्र परामर्शक व कोषाध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट या घोषित समय के बाद प्राप्त हुआ।

2) नामांकन निर्धारित प्रपत्र में नहीं हुआ।

3) नामांकन किसी भी प्रकार से अपूर्ण हुआ।

4) प्रत्याशी अध्यादेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हुआ।

(घ) किसी पदाधिकारी के चुनाव के लिए मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा, यदि –

1) उस पर कोई चिह्न या लिखावट ऐसी है, जिससे मतदाता को पहचाना जा सके, अथवा

2) उस पर मत दर्शाने के लिए कोई चिह्न नहीं हो, या इस हेतु निश्चित ( ) सही के चिह्न के बदले कोई और चिह्न हो, या

3) मत दर्शाने वाला सही का चिह्न इस प्रकार लगाया हो कि उससे यह संदेह बना रहे कि किस प्रत्याशी को मत दिया गया है, अथवा

4) मतपत्र मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित हो।

साथ ही, यदि किसी मत/किन्हीं नियमों के बारे में अनिश्चितता हो, पर मतदाता द्वारा दिये गये सारे मतों के बारे में अनिश्चितता नहीं हो, तब मतपत्र को केवल अनिश्चितता की सीमा नहीं हो, तब मतपत्र को केवल अनिश्चितता की सीमा तक अमान्य माना जाएगा।

8. (1) परिषद् विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव की तिथि से काम करना शुरू करेगी एवं जिस शैक्षणिक सत्र में परिषद् का गठन हुआ है, उसके अप्रेल माह के अन्त तक कार्य करेगी।

(2) परिषद् की बैठक परामर्शक व कोषाध्यक्ष की सलाह से अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की गई तिथियों पर शैक्षणिक सत्र में कम से कम दो बार होगी। परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ लिखित अभियाचन प्रस्तुत

करने पर अध्यक्ष उसकी प्राप्ति के बीस दिनों के भीतर परिषद् की विशेष बैठक बुलायेगा। सदस्यों को हर बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जाएगी और उनहें उस की विषय सूची उसके साथ भेजी जएगी।

(3) परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

9. परिषद् के निम्नांकित अधिकार होंगे और वह निम्नलिखित कर्तव्य पूरे करेगी :–

(1) संघ द्वारा किये जाने वाले कार्यों की स्थूल रूपरेखा बनाना।

(2) कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत संघ के वार्षिक प्रतिवेदन ओर बजट अनुमानों को संशोधनों सहित या यथावत् स्वीकृत करना।

(3) संघ द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के सामने रखे जाने वाल मुद्दों को स्वीकृत करना।

(4) ऐसे नियम बनाना, जिन्हें वह संघ की गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए जरूरी समझती है।

(5) अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदत्त सारे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

10. (1) कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारी तब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक उन्हें चुनने वाली परिषद् काम करती है, बशर्ते परिषद् द्वारा कार्यकारिणी समिति या पदाधिकारी के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर समिति या पदाधिकारी को संरक्षक के आदेश से हटा न दिया गया हो।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक परामर्श व कोषाध्यक्ष की सलाह से अध्यक्ष द्वारा निश्चित की गई तिथि पर दो माह में कम से कम एक बार होगी। कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ लिखित अभियाचन प्रस्तुत करने पर अध्यक्ष उसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक बलायेगा।

11. कार्यकारिणी समिति के कार्य –

(क) कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना।

(ख) बजट तैयार करना और उसे स्वीकृति के लिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ग) छात्र समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें परिषद के सामने अपने सुझावों के साथ रखना।

(घ) अपने सदस्यों को कार्य सौंपना तथा वह स्वयं अपने सदस्यों या परिषद/महाविद्यालय संघों के सदस्यों या कार्यकारियणी समिति, परिषद और महाविद्यालय संघों के सदस्यों के किसी समूह से युक्त, जैसा वह जरूरी समझे, विशेष प्रयोजन के लिए उपसमितियाँ बना सकेगी और किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कार्यक्रम सचिव नियुक्त कर सकेगी।

(ङ) संघ का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और उसे परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना।

(च) ऐसे अन्य अधिकार और कर्तव्य रखना, जो उसे परिषद् के द्वारा प्रदत्त किये गये हों।

12. **संरक्षक के अधिकार निम्नानुसार होंगे :–**

(क) परिषद् या कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होना और उसके सदस्यों को सम्बोधित करना।

(ख) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों के चुनावों में उठने वाले उन सारे झगड़ों पर निर्णय देना, जिनकी उन्हें चुनाव के परिणाम की घोषणा के दिन के बाद पाँच दिनों के भीतर सूचना दी गई हो। इस बारे में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाना।

(घ) परिषद् या कार्यकारिणी समिति के किसी ऐसे प्रस्ताव या कार्यवाही को निरस्त कर देना, जिसके विषय में वे समझते हैं कि वह प्रस्ताव या कार्यवाही संघ के वैध प्रकार्य से हट करके या विश्वविद्यालय के हितों में बाधक है।

(ङ) संघ के कार्य उचित ढंग से हों, इसके लिए परिषद् या कार्यकारिणी समिति को निर्देश देना और परिषद् या कार्यकारिणी समिति, जो भी हो, उन निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

(छ) ऐसे अन्य अधिकार, जो इस अध्यादेश के अन्तर्गत संरक्षक में निहित हैं।

13. **परामर्शक व कोषाध्यक्ष –**

(क) वे कार्यकारिणी समिति के चुनाव करायेंगे।

(ख) उन्हें परिषद् या कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक में उपस्थित रहने तथा परिषद् और कार्यकारिणी समिति को उन की गतिविधियों के बारे में परामर्श देने का अधिकार होगा।

(ग) वे संघ के फण्ड के प्रभारी होंगे और विश्वस्त होंगे कि उसका कोई भाग बिना समुचित प्राधिकार के या जिसके लिए वह आबंटित हुआ है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए खर्च नहीं किया जाता है।

(घ) वे संघ के किसी भी सदन या अधिकारी का ऐसा प्रस्ताव या कार्यवाही या कार्य संरक्षक की जानकारी में लायेंगे, जो इस अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला हो, या विश्वविद्यालय के लिए हानिकर हो।

14. (1) संघ का अध्यक्ष परिषद् और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष के अधिकार निम्नानुसार होंगे और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :–

(क) कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण के अधीन संघ के क्रियाकलापों के सामान्य प्रबन्ध का प्रभारी रहना।

(ख) सामान्य परिषद् और कार्यकारिणी समिति की बैठकों में या संघ के द्वारा अयोजित किसी अन्य बैठक या सम्मेलन में अनुशासन बनाये रखना।

(ग) यह देखना कि इस अध्यादेश के प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है।

(घ) सामान्य परिषद् या कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे सौंपे गये किसी अन्य कार्य या उसे प्रदत्त किसी कर्तव्य को पूर्ण करना।

15. उपाध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा गया कार्य करेगा एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य भार संभालेगा।

16. सचिव के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

(1) अध्यक्ष, के निर्देशों के अधीन परिषद् और कार्यकारिणी समिति की हर बैठक की सूचना भेजना।

(2) सामान्य परिषद् और कार्यकारिणी समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों को तैयार करना और उन्हें सुरक्षित रखना।

(3) संघ का लेखा तैयार रखना और संघ का पत्राचार करना एवं उसके सभी रिकार्ड रखना।

(4) विश्वस्त होना कि सामान्य परिषद् और कार्यकारिणी समिति के निर्णयों का ठीक से पालन हो रहा है।

(5) परिषद् या कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए सारे अन्य कार्य करना।

17. (1) संयुक्त संचिव, सचिव को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करेगा और उसे वे अधिार प्राप्त होंगे, जो उसे परामर्शक व कोषाध्यक्ष की स्वीकृति से अध्यक्ष द्वारा दिये गये हो।

(2) संयुक्त सचिव, सचिव की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार सम्भालेगा।

18. (1) महाविद्यालयों/शिक्षण विभागों के माध्यम से इकट्ठा हुआ उनके छात्र संघों का विश्वविद्यालय छात्र संघ शुल्क तथा किसी स्रोत से प्राप्त दान से विश्वविद्यालय छात्र संघ का फण्ड निर्मित होगा।

(2) जब कभी कार्यकारिणी समिति द्वारा कोइ व्यय प्राधिकृत हागा, तब परामर्शक व कोषाध्यक्ष कुलसचिव से आवश्यक राशि प्राप्त करेंगे और उसे समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करायेंगे।

(3) जब कभी परामर्शक व कोषाध्यक्ष द्वारा संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य को कोई राशि दी जाएगी, तब उसका लेखा सचिव के पास जमा करना होगा, जो संघ का हिसाब–किताब रखेगा और उसे प्रत्येक माह के अन्त में परमर्शक व कोषाध्यक्ष को पूरी रसीदों के साथ (सचिव द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित) प्रस्तुत करेगा।

(4) संघ का लेखा प्रत्येक वर्ष किसी ऐसे अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा अंकेक्षित किया जाएगा, जिसे संरक्षक नियुक्त कर सकेंगे।

19. (1) परिषद् अध्यक्ष या किसी अन्य पदाधिकारी या पूरी कार्यकारिणी समिति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है, यदि वह प्रस्ताव उसके कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा पेश किया गया हो और बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्य उसके पक्ष में हों तथा उपस्थित सदस्य परिषद की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम न हों। ऐसा प्रस्ताव तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब किसी पदाधिकारी या समिति ने इस अध्यादेश के प्रावधानों की अवहेलना की हो या अपने कर्तव्यों के पालन में असफलता पायी हों तथा परामर्शक व कोषाध्यक्ष के निर्णय करने पर कि प्रस्ताव आधार/आधारों पर रखा जा रहा है। परिषद् की एक बैठक उस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संयोजित की जाएगी। जिस बैठक में ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाना होगा, उसकी अध्यक्षता परामर्शक व कोषाध्यक्ष करेंगे।

(2) कार्यकारिणी समिति या कोई पदाधिकारी संरक्षक के आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा। वे उस आदेश को उस प्रस्ताव के उन्हें प्राप्त हो जाने के बाद ही देंगे, जो इस कण्डिका के प्रावधानों के अनुसार परिषद् के द्वारा पारित हो चुकेगा।

20. जिस छात्र को उसके महाविद्यालय के प्राचार्य या कुलपति ने निष्कासित कर दिया हो या अस्थायी रूप से निकाल दिया हो, वह निष्कासन या अस्थायी रूप से निकाल दिये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय छात्र संघ के पद पर नहीं रहेगा।

21. (1) विश्वविद्यालय छात्र संघ का कोई पदाधिकारी या कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य परामर्शक व कोषाध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है और इस्तीफा जैसे ही परामर्शक व कोषाध्यक्ष के द्वारा प्राप्त होगा, वैसे ही प्रभावी हो जाएगा।

(2) यदि कार्यकारिणी समिति की कोई सदस्यता या विश्वविद्यालय छात्र संघ का कोई पद रिक्त होता है, तो परामर्शक व कोषाध्यक्ष उसे चुनाव द्वारा भरने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाएगा।

*****